

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल :- dme12001@yahoo.com

दूरभाष नम्बर :- 0755-2550186

वेबसाईट :- www.medicaleducation.mp.gov.in

फैक्स :- 0755-2578844

क्रमांक 453-57स्था./अराज/2019,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/05/2019

अधिष्ठाता,  
चिकित्सा महाविद्यालय,  
इन्दौर/रीवा/ग्वालियर, म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा महाविद्यालयों में वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लैब (VRDL) की स्थापना हेतु स्वीकृत पदों की अनुसूची के संबंध में।


- संदर्भ :-
1. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर का पत्र क्रमांक 644/स्था. विज्ञप्त/2019, दिनांक 24.04.2019.
  2. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा का पत्र क्रमांक 7736/स्था. /अराज/एम.सी./2019, दिनांक 25.04.2019.
  3. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर से प्राप्त अनुसूची दिनांक 27.04.2019.

--00--

विषयांकित संदर्भित पत्र में लेख है कि अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-21/2018/55-2 दिनांक 02.05.2019 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, रीवा, एवं इन्दौर में वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लैब हेतु 03 पद सृजित किये गये हैं।

“मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018” के अनुसार चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची 1, 2, 3, 4 एवं 05 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- अनुसूची 1,2,3,4 एवं 5.

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
0/c मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 456-58/स्था./अराज/2019,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02/05/2019

1. संभागीय आयुक्त, ग्वालियर/इन्दौर/रीवा संभाग, ग्वालियर/इन्दौर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
0/c मध्यप्रदेश

  
2.5.19

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
(शासकीय स्वशासी संस्था)

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679  
फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- dean-mgmmc@mp.gov.in  
वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

क्रमांक 644 / स्था.विज्ञप्त/2019

इन्दौर, दिनांक 24/04/19

प्रति,

आयुक्त  
चिकित्सा शिक्षा  
म.प्र. भोपाल।

विषय :- शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में वायरस रिसर्च  
डायग्नोसिस लेब (VRDL) प्रबंधन हेतु पदों की अनुसूची 1, 2, 3, 4 एवं 5 के संबंध में।

संदर्भ :- आपका ईमेल दिनांक 24.04.2019 प्राप्त ईमेल।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर  
में वायरस रिसर्च डायग्नोसिस लेब (VRDL) के प्रबंधन हेतु पदों की अनुसूची 1, 2, 3, 4 एवं 5  
हस्ताक्षर कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- अनुसूची 1,2,3 एवं 5।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश 9292
आम्र क्रमांक
दिनांक 29/4/19
शाखा का नाम
रिमांक
कार्याक्षी
डी.एम.ई./सी.एम.ई.


30/4

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
म.गा.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर


शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर  
अनुसूची-एक  
(नियम 4.1 देखिए)  
खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग


अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड-पे
1	2	3	4
1	वैज्ञानिक-डी	01	15600-39100+7600
2	वैज्ञानिक-सी	01	15600-39100+6600
3	वैज्ञानिक-बी	01	15600-39100+5400


टीप :- अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है ।

  
अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

  
आनंद कुमार शर्मा  
आई.ए.एस  
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

  
(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)  
संचालक चिकित्सा शिक्षा

  
(संजय २३ ५११)  
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर  
अनुसूची-दो  
(नियम 5.1 देखिए)  
खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग


अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत
			सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा
1	2	3	4
1	वैज्ञानिक-डी	01	01
2	वैज्ञानिक-सी	01	01
3	वैज्ञानिक-बी	01	01


*msindia*

अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

  
आनंद कुमार शर्मा  
आई.ए.एस  
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

  
(डॉ. श्रीमती उत्कर श्रीवास्तव)  
संचालक चिकित्सा शिक्षा

  
(विजय देव वर्मा)  
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर  
अनुसूची-तीन  
(नियम 5.2 देखिए)  
खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग


स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	वांछनीय अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6	7
1	1	वैज्ञानिक-डी	25 वर्ष	<p>1. Post graduate degree (MD/DNB) with five year R&amp;D/teaching experience or Postgraduate diploma in medical subjects with six years R&amp;D/teaching experience in the required subject from recognized university.</p> <p>Or</p> <p>MBBS degree recognized by MCI or equivalent degree from recognized University with 8 years R&amp;D/Teaching experience in the relevant subject after MBBS Degree.</p> <p>Or</p> <p>First Class Master's degree in the relevant subject (Medical Microbiology/Virology/ Microbiology/Bio-technology) from a recognized university with 8 years R&amp;D/teaching experience in the relevant subject after 1<sup>st</sup> Class Master's Degree.</p>	<p>1. Doctorate or MD in the relevant subject from a recognized university for candidate with first class degree.</p> <p>2. Additional Post doctoral research/teaching experience in relevant subjects in recognized institute (s)</p> <p>3. Out of above 2 years in a managerial position to handle R&amp;D projects in a team effectively in a directing capacity.</p> <p>4. Knowledge of Computer Application or Business Intelligence tools/ Data Management.</p> <p><b>Notes:</b></p> <p>1. MD/PhD in the relevant subject shall be treated equivalent to three years experience.</p> <p>2. Postgraduate Diploma in medical subjects in the relevant subject shall be treated</p>	62 वर्ष


आनंद कुमार शर्मा  
आई.ए.एस

(डॉ. श्रीमती जेका श्रीवराव)  
संचालक चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)  
कनिष्ठ लेखाधिकारी


स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	वांछनीय अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6	7
				Or Second Class M.sc + Ph.D degree in the relevant subject (Medical Microbiology/Virology/ Microbiology/Bio-technology) from a recognized University with 8 years R&D/teaching experience in the relevant subject after M.sc + Ph.D.	equivalent to two years experience.	
2	2	वैज्ञानिक-सी	23 वर्ष	1. Ph.D. in Microbiology/Biochemistry/Biotechnology/Molecular Biology/Life science. Or First class master's degree (M.sc/M.Tech) in Microbiology/Biotechnology/Biochemistry/Molecular Biology/ Life Science with the relevant subjects from a recognized university with 05 years research experience in the relevant subject after 1 <sup>st</sup> class master degree. Or 2 <sup>nd</sup> class M.sc + Ph.D degree in relevant subject from a recognized university.	1. Ph.D candidates with research thesis work on infectious diseases supported by at least three original research publication in PUBMED indexed journal will be given preferences. 2. Any Post-doctoral research/past experience in Viral infectious disease diagnosis, epidemiological studies will be given preference. 3. Working experience of tissue culture/virus harvesting/cell line maintenance/viral gene expression study/genetic basis of viral	62 वर्ष

  
**आनंद कुमार शर्मा**  
 आई.ए.एस  
 संचालक चिकित्सा शिक्षा


  
**(डॉ. श्रीपती उस्ता श्रीवास्तव)**  
 संचालक चिकित्सा शिक्षा


4


  
**P. S. D.**

  
**(विजय देव वर्मा)**  
 कनिष्ठ लेखाधिकारी

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	वांछनीय अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pathogenesis/viral diagnostic genetic marker.</p> <p>4. Knowledge of Computer Applications (Word, Powerpoint, Excel, Sequence phylogenetic analysis software, Business Intelligence tools, Data Management. Working knowledge of molecular bioinformatic tools like Bio edit, BLAST, Primer and Probe designing, phylogenetic analysis and sequence will be preferred.</p>	
3	3	वैज्ञानिक-बी	23 वर्ष	<p>1. First class Master's degree in relevant subject (Medical Microbiology/Virology/ Microbiology/Bio-technology) from a recognized University.</p> <p>2. Second class M.Sc + Ph.D degree in relevant subject (Medical Microbiology/Virology/ Microbiology/Bio-technology) from a recognized University.</p>	<p>1. Doctorate in the related subject from a recognized university for candidates with first class degree.</p> <p>2. Additional Post doctoral research/teaching experience in relevant subject in recognized institute(s).</p> <p>3. Knowledge of Computer Application or Business Intelligence tools/Date Management</p> <p>4. Two years R&amp;D/Teaching</p>	62 वर्ष

  
 अनंद कुमार शर्मा  
 आई.ए.एस  
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा


  
 5  
 (डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)  
 संचालक चिकित्सा शिक्षा

  
 (विजय देव वर्मा)  
 कनिष्ठ लेखाधिकारी


स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	वांछनीय अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6	7
					experience in relevant subject after obtaining essential qualification. <b>Notes:</b> 1. PhD in relevant subjects shall be treated equivalent to three years experience respectively.	


टीप:-

1. अनुसूची के कॉलम 5 एवं 6 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी ।
2. कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी ।

  
 आनंद कुमार शर्मा  
 आई.ए.एस  
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

  
 अधिष्ठाता  
 महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

  
 (डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)  
 संचालक चिकित्सा शिक्षा

  
 (विजय देव शर्मा)  
 कनिष्ठ लेखाधिकारी



शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर  
 अनुसूची-चार  
 (नियम 7.2 देखिए)  
 खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर)				

निरंक

अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

आनंद कुमार शर्मा  
 आई.ए.एस  
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)  
 कनिष्ठ लेखाधिकारी

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)  
 संचालक चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर

अनुसूची-पांच

(नियम 11.1 देखिए)

चिकित्सकीय, परिचारिका एवं सह चिकित्सकीय संवर्ग

स.क्र.	अवकाश का प्रकार	विवरण
1	आकस्मिक / विशेष / ऐच्छिक अवकाश	अनुसूची-एक के खण्ड अ, ब एवं स में उल्लेखित संवर्गों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में नियमानुसार अवकाश उपभोग करने की पात्रता होगी।
2	अर्जित अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश। उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में। किसी व्यक्ति के अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिवस का अर्जित अवकाश जमा रह सकेगा। 300 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत हो जाएगा। माह के मध्य में नियुक्ति होने पर अर्जित अवकाश की गणना 2 <sup>1/2</sup> दिवस प्रति सम्पूर्ण माह की दर से की जायेगी।
3	अर्द्धवैतनिक / लघुकृत अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में।
4	प्रसूति अवकाश	महिला चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित संतान होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति की अवकाश की पात्रता होगी।
5	पितृत्व अवकाश	पुरुष चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित बच्चे होने पर 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। प्रसव के 15 दिन पहले अथवा 15 दिन बाद से 6 महीने की अवधि में न लेने पर व्यपगत (Lapse) हो जावेगा।
6	अध्ययन अवकाश	संवर्ग की पात्रता अनुसार सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रवेशित पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर व्यक्ति को अध्ययन अवकाश का पूर्ण वेतन तथा महंगाई भत्ता (अन्य भत्ते नहीं) की पात्रता होगी। अध्ययन अवकाश 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरान्त 03 वर्ष से अधिक का समय सेवानिवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा।
7	संतान पालन अवकाश	महिला चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिवस की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत किया जावेगा। जिसमें संतान का 18 वर्ष की आयु से कम होना आवश्यक है। परन्तु सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान हेतु मान्य होगा।

टीप :-

1. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रद्द करने का निर्णय ले सकेगा।
2. सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा।

अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

आनंद कुमार शर्मा

आई.ए.एस

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवारतव)  
संवालय चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)  
कनिष्ठ लेखाधिकारी